

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933

[रा.रा.स्ट.दि. सं. 30

No. 81]

DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

[N.C.T.D. No. 30]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2011

सं. का. 61/94/एडवट./डीडी(सीडब्ल्यू)/डीडब्ल्यूसीडी/2008-09/3429-455.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) संरक्षण अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 66 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना संख्या एक 61(2)/डीओ 1/डीएसडब्ल्यू/2001/2832-2891 दिनांक 26-3-2003 में, निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित बाल कल्याण समितियों का गठन करता है, यह समितियाँ उपरोक्त अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों व कर्तव्यों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों के हित में समुचित प्रयोग करेंगी।

क्रम. सं.	बाल कल्याण समिति	नाम, पता और दूरभाष नम्बर	अध्यक्ष और सदस्य
1	2	3	4
1.	बाल कल्याण समिति सेवा कूटीर कॉम्प्लेक्स, किंगजवे कैम्प, दिल्ली	सुश्री विमला पांडे, 174, मनु अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फैस-1, दिल्ली। मोबाइल-9810740401	अध्यक्षः
		डॉक्टर आरती भेठा, ईडी/118, टैगर गार्डन, नई दिल्ली। मोबाइल-9717911145	सदस्यः
		सुश्री पी.के. बेदी, 1688 (दूसरा तला), कूतरम लोन, किंगजवे कैम्प, दिल्ली। मोबाइल-9899544226	सदस्यः

1	2	3	4
		सुश्री अनुराधा बैशिष्ठ, चैम्बर नं. 142, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली। मोबाइल-9212381466	सदस्य
2	बाल कल्याण समिति, संस्कार आश्रम कॉम्प्लैक्स, दिल्ली गार्डन, दिल्ली	श्री अजय कुमार सिंह, निवासी 501, मधुरान्जल कॉम्प्लैक्स, सैक्टर 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद, यू. पी. मोबाइल-9868465366 सुश्री सुदर्शना चक्रवर्ती, एस आर बी 103 बी, शिंग्रा रिवेरा, इंदिगु पुरम, ज्ञानखण्ड 3, गाजियाबाद, यू. पी. मोबाइल-9891351690	अध्यक्ष
		श्री शशदार पटेल शर्मा, फ्लैट नं. सी-288, सेन्ट्रल गवर्नरमेंट एम्प्लाइस कॉम्प्लैक्स, मिन्टो रोड, रेड ब्लाटर, नई दिल्ली। मोबाइल-9891126972	सदस्य
3.	बाल कल्याण समिति, आशा किरण कॉम्प्लैक्स, अवृतिका, रोहिणी, दिल्ली	सुश्री कमला लेखवानी, निवासी-23/10, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली। मोबाइल-9910023202 डॉ प्रेम सिंह, एफ/14/10, सैक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली। मोबाइल-9868376871	अध्यक्ष
		सुश्री रीटा दीरेगा, निवासी - 137, सवास्तिक कूज, सैक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली। मोबाइल-9540331413	सदस्य

यह बाल कल्याण समितियां उपरोक्त पतों पर कार्यरत रहेंगी हथा अधिसूचना को तिथि से अगले तीन वर्षों तक मान्य रहेंगी।

ये समितियां किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) संरक्षण अधिनियम व नियमों के अनुसार कार्य करेंगी यह बाल कल्याण समितियां सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कार्य करेंगी। यह समितियां देखभाल एवं सुरक्षा हेतु बच्चों के बारे में देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास व पुनर्वास हेतु समुचित निर्णय करेंगी। यदि बालक को बाल घृह में रहने का आदेश जारी रहता है तो समिति बालक के विकास का वार्षिक मूल्यांकन करेंगी। ये समितियां किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) संरक्षण अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत विभाग-द्वारा भेजे गये सभी मामलों को निपटायेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2011

No. F. 61/94/Advert./DD(CW)/DWCD/2008-09/3429-455.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) and in pursuance of power delegated vide Notification No. F. 61(2)/DO-I/DSW/2001/2832-2891 dated the 26th March, 2003, under Section 66

of the aforesaid Act, I, Director, Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby constitute the following Child Welfare Committees, consisting of the following for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Committees, in relation to the children in need of care and protection under the said Act in National Capital Territory of Delhi.

Sl. No.	Child Welfare Committee	Name, Address and Phone No.	Chairperson and Members
1	2	3	4
1.	Child Welfare Committee, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi	Ms. Vimala Paul 174, Manu Apartments, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi M. 9810740401 Dr. Arti Mehta ED/118, Tagore Garden, New Delhi M. 9717911145 Smt. P.K. Bedi 1688 (2nd Floor), Qutram Line, Kingsway Camp, Delhi M. 9899544226	Chairperson Member Member
2.	Child Welfare Committee, Sanskar Ashram Complex, Dilshad Garden, Delhi	Ms. Anuradha Vashisht Ch. No. 142, Patiala House Courts, New Delhi M. 9212381466 Sh. Ajay Kumar Singh 501, Mayuranjali Complex, Sector 14, Kaushambi Ghaziabad, U.P. M. 9868465366	Chairperson Member
3.	Child Welfare Committee, Asha Kiran Complex, Avantika Rohini, Delhi	Ms. Sudarshana Chakraborti SRB 103 B, Shipra Riviera, Indirapuram, Gyankhand III, Ghaziabad, U.P. M. 9891351690 Shri Sardar Patel Sharma Flat No. C-288, Central Government Employee Complex, Minto Road, (Red Quarter), New Delhi M. 9891126972	Chairperson Member
		Smt. Kamla Lekhwani 23/10, Old Rajinder Nagar, New Delhi M. 9910023202	Chairperson
		Dr. Prem Singh F/14/10, Sector 15 Rohini, Delhi M. 9868376871	Member
		Ms. Rita Darira 137, Swastik Kunj, Sector-13 Rohini, Delhi M. 9540331413	Member

The aforesaid Child Welfare Committees shall function from its designated premises for the period of 3 years from the date of Notification.

The Child Welfare Committees shall function in terms of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009 on all working days from 10.00 am to 5.00 pm. It shall dispose cases for care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection. In case, the child is under order to continue the Children Institution, the committee shall carry out an annual review of the progress of the child. These committees shall also take up the matters as referred to them by the Department for implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 in letter and spirit.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

लोक निर्माण विभाग

(आवास आवंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2011

सं. फा. 4(01)/विविध/पी-2/लो.नि.वि.आ./2009-10/618-778.—मैलिक नियमावली के नियम 45 के प्रबंधानों के अनुसरण में गार्डीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 में आगे संशोधन के लिये निम्न प्रकार से नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को गार्डीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. नियम 2 में संशोधन :—गार्डीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 (जिसे इसके बाद मुख्य नियमावली कहा गया है), के नियम 2 में—

(i) खण्ड (छ) में स्पष्टीकरण के लिये निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

“2(छ) (1)

स्पष्टीकरण :—ऐसे अधिकारी के मामले में जो निलम्बित है जिस वर्ष में उसे निलम्बित किया गया था उस आवंटन वर्ष के प्रथम दिन को उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ग्रेड वेतन या यदि उसे आवंटन वर्ष के प्रथम दिन निलम्बित किया गया है उस दिन से तुरन्त पहले उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाला ग्रेड वेतन ही ग्रेड वेतन के रूप में लिया जायेगा।”

(ii) खण्ड (ट) के लिये निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

“2 (ट) 'प्रायमिकता तिथि' किसी अधिकारी के किसी टाइप के आवास की पात्रता के संबंध में, अर्थ होगा वह सबसे पहली तिथि जिससे वह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या प्रशासन या विदेश सेवा, अवकाश की अवधि को छोड़कर, किसी विशेष टाइप की दृष्टि से लगातार ग्रेड पे लेता रहा है।”

(iii) यथा प्रतिस्थापित खण्ड (ट) के दूसरे परन्तुक के लिये निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“अगे उपर्युक्त है कि जहां हो या अधिक अधिकारियों की प्रायमिकता तिथि एक ही है, उनकी वरिष्ठता मूल वेतन की राशि (अर्थात् वेतन + ग्रेड पे) के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी। जो अधिकारी उच्च मूल वेतन प्राप्त कर रहा है उसे कम मूल वेतन पाने वाले अधिकारी से वरीयता मिलेगी, और जहां मूल वेतन समान है, सेवा अवधि द्वारा सुनिश्चित होगी।”

3. मुख्य नियमावली के नियम 3 में आवास आवंटन की पात्रता के लिये निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

आवास का टाइप अधिकारी का वर्ग जिसका ग्रेड पे आवास आवंटन वर्ष की पहली तिथि को निम्न प्रकार है

I	1300 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये, 1650 रुपये एवं 1800 रुपये
II	1900 रुपये, 2000 रुपये, 2400 रुपये एवं 2800 रुपये
III	4200 रुपये, 4600 रुपये एवं 4800 रुपये
IV	5400 रुपये एवं 6600 रुपये
V	7600 रुपये, 8700 रुपये एवं 8900 रुपये
VI	10000 रुपये तथा अधिक

४. नियम ७ में संशोधन :—मुख्य नियमावली के नियम ७ में उप-नियम (३) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“नियम ७ (३).—इस नियमावली के अधीन आवास आवंटन के पात्र अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता उस तिथि के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी जिससे उस अधिकारी ने आवंटन किये जाने वाले आवास की दृष्टि से ग्रेड पे प्राप्त करना शुरू किया। समान ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता वर्तमान प्रक्रिया अर्थात् मूल बेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यदि मूल बेतन समान होगा तो सेवा निवृत्ति तिथि विचारणीय होगी जिसका सिद्धान्त है कि पहले सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी को बाद में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी से अधिक वरीयता दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य सेवा दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
चौ. कौ. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND HOUSING NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2011

No. F. 4(1)/Misc./P-II/PWD & H/618-778.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 2.—In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 2—

(i) in clause (g), for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

“2(g)(1)

Explanation :—In case of an officer who is under suspension the Grade Pay drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or, if he is placed under suspension on the first day of the allotment year, the Grade Pay drawn by him immediately before that day, shall be taken as Grade Pay”.

(ii) For clause (k), the following clause shall be substituted, namely :—

“2(k) ‘Priority date’ of an officer in relation to a type of residence to which he is eligible means the earliest date from which he has been continuously drawing Grade Pay relevant to a particular type or higher type in a post under the Central Government, State Government or Administration or on foreign service, except for periods of leave”.

(iii) In clause (k) so substituted, the second proviso, for the following proviso shall be substitute, namely :—

“Provided further that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the amount of Basic Pay (i.e. Pay+Grade Pay) the officer in receipt of higher Basic Pay taking precedence over the officer in receipt of lower Basic Pay, and where the Basic Pay are equal, the length of service”.

3. In the Principal Rules, in rule 3, for the table for entitlement of Allotment of Residences, the following table shall be substituted, namely :—

Types of Residences	Category of officer whose Grade Pay as on the 1st day of the Allotment year in which the allotment is made is as below
I	Rs. 1300, Rs. 1400, Rs. 1600, Rs. 1650 and Rs. 1800
II	Rs. 1900, Rs. 2000, Rs. 1600, Rs. 2400 and Rs. 2800
III	Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800
IV	Rs. 5400 and Rs. 6600
V	Rs. 7600, Rs. 8700 and Rs. 8900
VI	Rs. 10000 & above

4. Amendment of rule 7.—In the Principal Rules, in rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"Rule 7 (3).—The inter-seniority of the officers eligible for the allotment of residences under this rules shall be determined on the basis of the date from which such officer began to draw Grade Pay pertaining to type to which he is to be considered for allotment inter-seniority, among the same Grade shall be determined as per the present practice i.e. the basic pay. If basic pay is also the same then the date of that the officer retiring earlier may be accorded higher priority over the officer retiring later".

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

V.K. TRIPATHI, Jt. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2011

फा. सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाइल/628.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 1, दिनांक 3-1-2011 के संदर्भ में श्री अजित कुमार, ग्रेड-I (DASS) ने दिनांक 7-1-2011 (पूर्वाहन) को तहसीलदार (कालकाजी) जिला-दक्षिण का कार्यभार संभाल लिया है। अतः —

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उपधारा 27/1/वी (1887 अधिनियम सं. 17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री अजित कुमार, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलौक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अजित कुमार, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलौक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अजित कुमार, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चक्रबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. 7(13)/रा. स्थ./स.र./97(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अजित कुमार, ग्रेड-I (DASS) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलौक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2011

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./G.A./97/P. File/628.—In pursuance of Service Department's Order No. 1, dated 3-1-2011, Sh. Ajit Kumar, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Kalkaji), District South on 17-1-2011 (F/N). Now therefore,—